

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्- मधेपुरा एवं सिवान।

पटना, दिनांक-25/3/17

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के नगर परिषद्- मधेपुरा एवं सिवान में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु गैर योजनान्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹6.28422 लाख (छः लाख अठाईस हजार चार सौ बाईस रु०) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के नगर परिषद्- मधेपुरा एवं सिवान में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु किये गये अतिरिक्त राशि के अधियाचना के आलोक में वेतनादि एवं बकाया वेतनादि (DA, HRA एवं चिकित्सा भत्ता सहित) के भुगतान हेतु गैर योजनान्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०-304 दिनांक-25/3/17 के आलोक में कुल ₹6.28422 लाख (छः लाख अठाईस हजार चार सौ बाईस रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	माँग पत्र संख्या/दिनांक	वेतनादि मद में आवंटित कुल राशि (राशि रुपये में)
1	2	3	4
1	नगर परिषद्, मधेपुरा	593/04.03.2017	4,26,159.00
2	नगर परिषद्, सिवान	442/07.03.2017	2,02,263.00
योग (क)			6,28,422.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹6.28422 लाख (छः लाख अठाईस हजार चार सौ बाईस रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 2 के स्तम्भ- 4 में आवंटित राशि राज्य के नगर परिषद्- मधेपुरा एवं सिवान में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत बिहार नगरपालिका सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा विभाग में सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों, जो उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित नगर परिषद् में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, के वित्तीय वर्ष 2016-17

के वेतनादि एवं बकाया वेतन, महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (व्यक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची/अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमानुसार व्यय की जायेगी। राशि की स्वीकृति, संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वेतनादि मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता से संबंधित माँग पत्र के आलोक में स्वीकृत की जाती है। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. (क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 2 के स्तम्भ- 4 में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद- मधेपुरा एवं सिवान होंगे, जिनके द्वारा अपने नगर निकाय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी, गैर योजनान्तर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष-0013-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- N2217031920013, विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

6. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष एवं विपत्र कोड तथा विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय।

7. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2017 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. चूँकि उपर्युक्त राशि का आवंटन सहायक अनुदान के रूप में दी जा रही है, इसलिए यह सभी संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि स्वीकृत राशि के व्यय के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

9. गैर योजनान्तर्गत उक्त राशि का आवंटन गैर योजना व्यय समिति द्वारा दिनांक- 05.05.2016 को आयोजित बैठक में की गयी अनुशंसा एवं दिनांक- 16.06.2016 को मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या- 20 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में प्रदान की गयी है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

025-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०न०का०वे०आ०-26-01/2014 *305* /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-*25-3-17*

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट शाखा)/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07/विभागीय कार्यवाहक सहायक, प्रशाखा- 02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

025-3-17

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 25/3/17

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के नगर परिषद- मधेपुरा एवं सिवान में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु गैर योजनान्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹6.28422 लाख (छः लाख अठाईस हजार चार सौ बाईस रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के नगर परिषद- मधेपुरा एवं सिवान में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु किये गये अतिरिक्त राशि के अधियाचना के आलोक में वेतनादि एवं बकाया वेतनादि (DA, HRA एवं चिकित्सा भत्ता सहित) के भुगतान हेतु गैर योजनान्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹6.28422 लाख (छः लाख अठाईस हजार चार सौ बाईस रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

क्र० सं०	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	माँग पत्र संख्या/दिनांक	वेतनादि मद में स्वीकृत कुल राशि (राशि रुपये में)
1	2	3	4
1	नगर परिषद, मधेपुरा	593/04.03.2017	4,26,159.00
2	नगर परिषद, सिवान	442/07.03.2017	2,02,263.00
योग (क)			6,28,422.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹6.28422 लाख (छः लाख अठाईस हजार चार सौ बाईस रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 2 के स्तम्भ- 4 में स्वीकृत राशि राज्य के नगर परिषद- मधेपुरा एवं सिवान में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत बिहार नगरपालिका सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा विभाग में सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों, जो उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-

2 में अंकित नगर परिषद् में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वेतनादि एवं बकाया वेतन, महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (व्यक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची/अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमानुसार व्यय की जायेगी। राशि की स्वीकृति, संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वेतनादि मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता से संबंधित माँग पत्र के आलोक में स्वीकृत की जाती है। यह राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. (क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 2 के स्तम्भ- 4 में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- मधेपुरा एवं सिवान होंगे, जिनके द्वारा अपने नगर निकाय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी, गैर योजनान्तर्गत माँग सं०- 48 के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष-0013-नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड- N2217031920013, विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान-वेतन मद से की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष एवं विपत्र कोड तथा विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2017 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. चूँकि उपर्युक्त राशि की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में दी जा रही है, इसलिए यह सभी संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि स्वीकृत राशि के व्यय के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

9. गैर योजनान्तर्गत उक्त राशि की स्वीकृति गैर योजना व्यय समिति द्वारा दिनांक- 05.05.2016 को आयोजित बैठक में की गयी अनुशंसा एवं दिनांक- 16.06.2016 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या- 20 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में प्रदान की गयी है।

755 788

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/गै०यो०न०का०वे०आ०-26-01/2014 के पृष्ठ सं०- 115...../टि० पर दिनांक- 24-3-17 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 115...../टि० पर दिनांक- 24-3-17 को प्राप्त है।
12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०न०का०वे०आ०-26-01/2014 304 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 25/3/17

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट शाखा)/नगर कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद्/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07/विभागीय कार्यवाहक सहायक, प्रशाखा- 02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के विशेष सचिव।

